

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

### सं. 9/2017- केंद्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 681(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी कटौतीकर्ता द्वारा, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के अधीन राज्य के भीतर माल या सेवा या दोनों की पूर्ति पर किसी पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्घाणीय संपूर्ण केंद्रीय कर से, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है कि कटौतीकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 24 के उपर्यंत (vi) के अधीन अन्यथा रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

### No. 9/2017-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 681(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods or services or both received by a deductor under section 51 of the said Act, from any supplier, who is not registered, from the whole of the central tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the said Act, subject to the condition that the deductor is not liable to be registered otherwise than under sub-clause (vi) of section 24 of the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

### सं. 10/2017- केंद्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 682(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो पुराने माल का क्रय और विक्रय करता है और जो केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 32 के उपनियम (5) के अधीन यथा अवधारित पुराने माल की ऐसी जावक पूर्ति के मूल्य पर एकीकृत कर का संदाय करता है, जो कि ऐसे पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पुराने माल की अंतरराज्यिक पूर्तियां प्राप्त करता है, उक्त केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्घाणीय संपूर्ण केंद्रीय कर से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2017

**No. 10/2017-Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 682(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of second hand goods received by a registered person, dealing in buying and selling of second hand goods and who pays the central tax on the value of outward supply of such second hand goods as determined under sub-rule (5) of rule 32 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, from any supplier, who is not registered, from the whole of the central tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Digitally signed by RAKESH  
SUKUL  
Date: 2017.06.29 04:04:15 +05'30'